न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या – 98 / 2019 (Bank Case)

"इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स लिमिटेड" जिसका पंजीकृत कार्यालय–6th फ्लोर, प्लॉट नं. 15, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर–44,, गुरूग्राम, हरियाणा–122002

– प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्रीमति गुड्डी पत्नि श्री गिर्राज गुर्जर (ऋणी / बंधककर्ता)
पता:– मकान नं. 2155, वार्ड नं. 30, प्रेम नगर तृतीय, सर्वोदय स्कूल के पीछे, जिला कोटा (राज०)
2. श्री गिर्राज गुर्जर पुत्र श्री पांचूलाल
पता– मकान नं० 2155, वार्ड नं. 30, प्रेम नगर तृतीय, सर्वोदय स्कूल के पीछे, जिला कोटा राजस्थान–324004

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री कुलदीप सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 01.10.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी "इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स लिमिटेड" जिसका पंजीकृत कार्यालय–6th फ्लोर, प्लॉट नं. 15, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर–44,, गुरूग्राम, हरियाणा–122002 से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 21.06.2015 को 5,00,000 / – (अक्षरे: पांच लाख रूपये मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी संख्या 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति आबादी भूमि रजिस्टर्ड पट्टा कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा से कमांक / नियमन–आवंटन / 2003 / 379 दिनांक 5.9.2013 से जारीसुदा जिसका पता– सर्वे नम्बर–Ray –069 / 1239 प्रेम नगर तृतीय, कच्ची बस्ती, तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है । जिसका कुल क्षैत्रफल 990 वर्गफीट है । जिसकी चर्तुः सीमाएं निम्न है– पूर्व में– रोड, पश्चिम में–अन्य मकान, उत्तर में– रामकिशन का मकान, दक्षिण में रामस्वरूप का मकान** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 30.04.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 4,68,786 / – (अक्षरे रूपये चार लाख, अड़सठ हजार, सात सौ छियांसी मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.07.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

22.07.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण दिनांक 22.07.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 22.07.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी / बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति आबादी भूमि रजिस्टर्ड पट्टा कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा से कमांक / नियमन–आवंटन / 2003 / 379 दिनांक 5.9.2013 से जारीसुदा जिसका पता– सर्वे नम्बर–Ray –069 / 1239 प्रेम नगर तृतीय, कच्ची बस्ती, तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है । जिसका कुल क्षैत्रफल 990 वर्गफीट है । जिसकी चर्तुः सीमाएं निम्न है– पूर्व में– रोड, पश्चिम में–अन्य मकान, उत्तर में– रामकिशन का मकान, दक्षिण में– रामस्वरूप का मकान** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 01.10.2019 को सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner